SHIKSHA SAMVAD
International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
Volume-02, Issue-01, September- 2024
www.shikshasamvad.com

"वाणिज्यिक बैंकों का पर्यावरण एवं हरित क्षेत्रों के संरक्षण में योगदान"

पंकज गुप्ता
शोधार्थी
वाणिज्य विभाग
स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गाजीपुर

डॉ0 सतीश कुमार पाण्डेय
सहायक आचार्य,
वाणिज्य विभाग
स्वामी सहजानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गाजीपुर

सारांश –

पर्यावरण को लेकर दुनिया आज जितनी गम्भीर है उतनी पहले कभी नहीं थी। भारत में प्राचीन काल से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। ऊर्जा के असीमित स्त्रोत भगवान भास्कर को देवता तथा जीवनदायिनी नदियों को देवी स्वरूप स्वीकार किया गया है। भारतीय परम्परा एवं संस्कृति में प्राकृतिक वस्तुओं एवं जानवरों की पूजा की जाती है। ये सभी क्रियाकलाप पर्यावरण संरक्षण को बल देते हैं। आर्थिक विकास के क्रम में धीरे–धीरे बैंकों का अस्तित्व प्रकाश में आया। बैंकों के विभिन्न स्वरूपों में सार्वजनिक बैंकों के साथ–साथ निजी बैंकें भी कार्य करने लगी वाणिज्य बैंकें जमा स्वीकार के साथ ऋण आदि प्रदान करती हैं। जब वाणिज्य बैंकें हरित परियोजनाओं के संरक्षण वाली योजनाओं को मुद्रा प्रदान करती है तब यह स्वीकारा जाता है कि वाणिज्य बैंकें भी पर्यावरण संरक्षण के कार्य को सम्पादित कर रही हैं। पर्यावरण एवं हरित क्षेत्रों के संरक्षण में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका तत्कालीन समय में बढ़ गयी है।

शब्द कोश : *वाणिज्यिक बैंक, हरित क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन परियोजनाएं, ग्रीन बैंकिंग*

हमारे देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों का आकार बढ़ता जा रहा है, यह वृद्धि विकास से भी जुड़ी हुई है। कारपोरेट जगत में लघु, मध्यम तथा विशाल सभी आकारों के निकाय होते हैं, इन निकायों का प्रदर्शन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। समस्त वाणिज्यिक बैंकों का नियमन केन्द्रीकृत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक करता है,

वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित दो वर्गों में विभाजित है। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के अनुसूचित बैंक होते हैं पहला–भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहायक बैंकें तथा राष्ट्रीयकृत बैंकें, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा निजी क्षेत्र का बैंक, चौथा विदेशी बैंक।

स्वतन्त्रता के बाद भारत के वाणिज्यक बैंको का निरन्तर विस्तार हो चुका है। 16 मार्च 1949 को बैंकिंग कम्पनी एक्ट लागू किया गया। भारतीय बैकिंग व्यवस्था की आवंछनीय प्रवृत्तियों तथा बैकिंग साधनों का गलत दिशा में प्रयोग रोकने के उद्देश्य से यह अनुभव किया गया कि भारत के वाणिज्यिक बैंक देश के सर्वाधिक हित में कार्य तभी कर सकते है जब बैंको पर राष्ट्र का स्वामित्व हो, इस कारण से 1968 में बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की योजना लागू की गई ताकि बैंके सरकार के दिशा स्थापना का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कुछ वर्षो बाद पुनः यह अनुभव किया जाने लगा कि देश के वर्तमान वाणिज्यक बैंक सरकार के उद्देश्यों व लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे है। इस कारण समाज से मांग उठने लगी कि राष्ट्रीयकरण किया जाना चहिये।

बैंक किसी देश या समाज के वित्तीय संस्थानों के संरक्षक होते है क्योंकि राष्ट्रीय बचत का अधिकांश भाग जमा के रूप में उनके पास इकट्ठा होता है। समाज के वित्तीय साधनों का विशालतम मात्र बैंको के नियन्त्रण में रहने के कारण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र अपनी वित्त सम्बन्धी जरूरतों पर बैंको पर ही आश्रित हो जाते है। बैंको के पर्याप्त मात्रा में जमा मिल जाती है और बैंक यदि इस जमा का प्रयोग अर्थव्यवस्था के हित में करना चाहे तो विकास दर में महत्वपूर्ण वृद्धि भी हो सकती है। एक विकासशील देश में बैंको का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कारण स्वतन्त्रता के बाद से ही समय–समय पर धन का निजी क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पर आपत्ति उठायी जाती रही है। राष्ट्रीयकरण उसी का परिणाम था। 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश के माध्यम से 50 करोड़ रूपये से अधिक जमा राशि वाले अनुसूचित बैंक जिनकी संख्या 14 थी सरकार ने अपने स्वामित्व में लेने की घोषणा कर दी। 25 जुलाई 1969 को लोकसभा में विधेयक रखा गया। 4 अगस्त 1969 को विधेयक पास हुआ तथा 8 अगस्त को राज्य सभा में पास हुआ उसके बाद 9 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून अवैध घोषित कर दिया किन्तु पिछली तिथि यानी 14 जुलाई 1969 से लागू करने वाला अध्यादेश 14 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति ने जारी किया। इस अध्यादेश को पुनः सर्वोच्च न्यायालय में चेलेन्ज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपत्तियाँ उठायी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुये संसद ने 27 फरवरी 1970 को संशोधित विधेयक पास कर दिया। 31 मार्च 1970 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ये यह कानून बन गया। एक दशक का अनुभव रहा कि राष्ट्रीयकरण से भारतीय वाणिज्यक बैकिंग व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन होने लगे है। 85 प्रतिशत बैकिंग व्यवस्था पर जब सरकार का एकाधिकार हो गया तो सामाजिक क्षेत्रों और आर्थिक क्षेत्रों में बैंको की भूमिका में महत्वपूर्ण वृद्धि होने लगी। इस कारण देश में बैंको के राष्ट्रीयकरण का दूसरा और 15 अप्रैल 1980 को शुरू हुआ जब 6 बड़े बैंको का

जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के कारण बैंको ने साख जमा वृद्धि के ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाओं का प्रसार किया।

भारतीय बैकिंग प्रणाली में सुधार– भारतीय रिवर्ज बैंक समय–समय पर भारतीय बैकिंग प्रणाली में सुधार करती रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करती है जो सभी गैर निष्पादनीय परिसम्पत्तियों के शतप्रतिशत प्रावधान को आवश्यक बना दिया। पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड को अनिवार्य किया गया ताकि जमा के प्रति जोखिम को कम किया जाये। भारत सरकार भी बैकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिये कटिबद्ध है। भारत सरकार ने बैकिंग कम्पनी कानून का संशोधन कर दिया है और राष्ट्रीयकृत बैंको को पूंजी निर्गम द्वारा पूंजी बाजार से राशि एकत्र करने का अधिकार दे दिया। बशर्ते केन्द्र सरकार को स्वामित्व अनुपात परिदत्त पूंजी 51 प्रतिशत से कम न हो जाये। 1992 के प्रतिभूति घोटाले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यक बैंको पर अपना पर्यवेक्षण कड़ा कर दिया है।

पर्यावरण व हरित योजनाएँ– पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि व आवरण से मिल कर बना है। जिसका आशय होता है वह परिवेश जो हमें चारो ओर से घेरे हुये है। पर्यावरण में जलवायु, भूमि, पेड़, जीवजन्तु, मानव व उसकी क्रियाओं के परिणाम भी शामिल होते है। मानव यदि पर्यावरण का संरक्षण करता है तो वह अपना ही हित पूरा कर रहा है क्योंकि शुद्ध पर्यावरण में ही मानव अस्तित्व है। पर्यावरण का क्षरण मानव विनाश को बुलावा है। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में जोहासंवर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि अपने आस–पास के चारों ओर के पर्यावरण का रक्षण करें। आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से पर्यावरण का बहुत महत्व रहा है और हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण का स ंरक्षण भी किया। भारतीय समाज में पर्यावरण को धर्म से जोड़ा गया ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो। पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्गत जल, वायु, मृदा, प्रदूषण को रोकने के साथ–साथ रेडियो धर्मिता को भी रोकना है। पर्यावरण संरक्षण सभी सतत विकास के लिये आवश्यक है।

- **ग्रीन ए0जी0 परियोजना–** कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा खेती करने की परम्परागत तकनीक को भी अक्षुण रखना भी आवश्यक हो। इस कारण से भारत में हरित कृषि की परियोजनाएँ बनाई गयी है। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखण्ड में ऐसी परियोजायें चलाई जा रही है। ऐसी परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबन्धन के विभिन्न उद्देश्यों व पद्धतियों को उत्प्रेरित करना है।
- **अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट–** यह योजना भी पर्यावरण संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण योजना है। यह वनभूमि के क्षरण को रोकने तथा मरूस्थलीयकरण से निपटने के लिये देश भर में ग्रीन कारिडोर तैयार

करने के उद्देश्य से बनायी गयी है। यह परियोजना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक विस्तारित है।

- **हरित बंदरगाह परियोजना–** इस परियोजना की शुरूआत देश के प्रमुख बन्रागाहों को स्वच्छ व हरियाली युक्त बनाने के लिये शुरू की गयी है। इस परियोजना के दो लक्ष्य है एक हरित बन्दरगाह दूसरा स्वच्छ भारत अभियान।
- **ग्रीन नेशनल हाईवे कोरिडोर प्रोजेक्ट–** इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में स्थायी बुनियादी ने के लिये नवीकरण उर्जा का उपयोग काफी महत्वपूर्ण हो ऐसे में हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का उपयोग करके उर्जा के क्षेत्र में नवीन और उभरते हुये विकल्पों की खोज करने के दिशा में मददगार साबित होगा। हरित हाइड्रोजन की प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर ग्रीन नाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुये कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा।
- **ग्रीन बाण्ड–** ग्रीन बाण्ड विभिन्न कम्पनियों देशो एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी किये जाते है। इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित भवन आदि शामिल हो सकते है। ग्रीन बाण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिये प्रयोग किया जाता है। सॉवरेन ग्रीन निर्गम सरकारों व नियामकों को जलवायु कार्यवाही और सतत विकास के उद्देश्य से एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। यह घरेलू बाजार के विकास को उत्प्रेरित करता है। एक मजबूत ग्रीन बाण्ड बाजार विकसित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू दिशा निर्देश व मानको में सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। हरित निवेश का गठन करने के सन्दर्भ में एकरूपता की भी आवश्यकता होती है क्योंकि विभिन्न टेक्सोनामी एक सीमा पार ग्रीन बाण्ड बाजार का विरोध करेंगे। भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिये सतत विकास की नीति अपना रहा है। सरकार का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक प्रतिशत बिजली उत्पादन ऐसे माध्यम से किया जाए जो न कि बराबर कार्बन उत्सर्जन करते हों साल 2070 तक भारत जीरो प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा गया है।

निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण में वाणिज्यक बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक किसी भी देश के सतत् विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ग्रीन बैकिंग आज मुहावरा बन गया है। वित्तीय, आर्थिक व पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण वित्तीय सेवा बाजार भी परिवर्तन हो रहा है। ग्रीन बैकिंग के विचार ने बैंको को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और देश में कार्बन उत्सर्जन करने वाली परियोजनाओं को हतोत्साहित करता है। अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिये एक मजबूत व स्वस्थ बैकिग प्रथा की जरूरत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक पर्यावरण नीतियों को सुविधाजनक बनाने में प्रमख योगदानकर्ता है। भारत जैसे विकासशील देशा में बैकिंग के सामाजिक व पर्यावरणीय आयाम पर बल देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. Sala, Enric (2020), “The Nature of nature : Why we need the wind” National Geographic, USA
2. पुरी, वी0के0, एस0के मिश्रा, (2021) ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' हिमालय पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली।
3. दत्त, रूद्र व के0पी0एम0 सुन्दरम (2022) ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली।
4. सेठी, टी0टी0 (2020) ''मौद्रिक अर्थव्यवस्था'' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
5. लाल, एस0एन0 (2022) ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' विकास पब्लिकेशन, प्रयागराज।
6. योजना (विभिन्न संस्करण), भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. कुरूक्षेत्र (विभिन्न संस्करण), भारत सरकार, नई दिल्लीं
8. पाण्डेय, वी0वी0 (1999) ''पर्यावरण शिक्षा'' डामिनेन्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
9. घोरपड़े, डॉ0 तुषार, (2022) ''पर्यावरण परिस्थितिकी'' विकास बुक हाउस, पुणे।
10. Bhattacharya R.N. (2022) "Environmental Economics" Oxford Press, New Delhi.

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

SHIKSHA SAMVAD

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87
Volume-02, Issue-01, Sept.- 2024
www.shikshasamvad.com
Certificate Number-Sept-2024/32

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

पंकज गुप्ता और डॉ0 सतीश कुमार पाण्डेय

For publication of research paper title

"वाणिज्यिक बैंकों का पर्यावरण एवं हरित क्षेत्रों के संरक्षण में योगदान"

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-02, Issue-01, Month September, Year- 2024, Impact-Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.shikshasamvad.com